संख्या- 56/2016/2514/33-3-2016-110/2012

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 27 सितम्बर, 2016**

विषयः- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना अन्तर्गत दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से 15 अक्टूबर 2016 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि 02.10.2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरूआत हुई थी, जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ 2019 पर स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों की पंचायतों द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में अत्यन्त उत्साहवर्धक प्रयास किये गये हैं। इसी संकल्प को दोहराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के अ.शा. पत्र सं.- 11015/244/2016-सी.बी. दिनांक 12.09.16 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत पंचायतों में सभी स्तरों पर दिनांक 01.10.2016 से 15.10.16 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी स्तरों की पंचायतों में दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से 15 अक्टूबर 2016 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाये जाने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित की जाये, जिनमें निम्न बिन्दुओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएः-

1. सभी स्तरों की पंचायतों में समेकित प्रयासों के द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंधी गतिविधियों के माध्यम से वातावरण निर्माण कर पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी स्थायी लक्ष्यों की प्राप्ति करना।

2. त्रिस्तरीय पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन किया जाना, जिससे कि वह स्वच्छता के क्षेत्र में खुले में शौचमुक्त स्तर प्राप्त कर सके वा स्थानीय स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कर सके।

3. जिले स्तर से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों को ग्राम पंचायतों तक हस्तांतरित किया जाए।

4. चतुर्थ वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्मित स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं का शुभारम्भ किया जाए।

5. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों का आयोजन समस्त ग्राम पंचायतों में किया जाए।

6. त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, जिसमें विशेष रूप से जलाशयों, नालियों, बाजारों, विभिन्न सार्वजनिक भवनों यथा-आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालयों, पशुपालाओं आदि की सफाई की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. स्वच्छता पखवाडे के कार्यक्रम की रूप-रेखा निर्धारित करते समय निम्न गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जायेः-

(अ) पदयात्रा

(ब) पुरस्कार वितरण

(स) स्वच्छता पर अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं का सम्मानित करना।

(द) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य अभिनव प्रयास।

8. स्वच्छता पखवाडे के दौरान ग्रामसभा की विशेष बैठकों का आयोजन किया जाये, जिसमें स्वच्छता संबंधित संचालित क्रियाकलापों पर चर्चा की जाये, गत वर्ष की उपलब्धियों का आंकलन किया जाये, खुले में शौच से मुक्त स्तर प्राप्त करने का संकल्प लिया जाये एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर चर्चा की जाए।

उपरोक्त निर्देशों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार संसोधन/परिवर्तन किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार 01.10.2016 से 15.10.2016 तक स्वच्छता पखवाडे का विधिवत आयोजन किया जाये। स्वच्छता पखवाडे के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का मीडिया कवरेज कराया जाए। स्वच्छता पखवाड़े में आयोजित कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त करायी गई गतिविधियों की संकलित रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 तक निदेशालय को उपलब्ध करायी जाए।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार।
2. संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय,भारत सरकार।
3. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा/बाल विकास एवं पुष्टाहार/बेसिक शिक्षा/ग्राम्य विकास।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
8. निदेशक,पंचायतीराज उ0प्र0।
9. निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
12. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि दिये गये निर्देशानुसार दिये गये स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in